

Certificate No. - 2026/2020/0003

Certified Date : 18/09/2026

Department of School Education & Literacy

Government of Jharkhand

Under Section 18 of Right to Education Act 2009

Certificate of Recognition

is being awarded to

AHSIEN INTERNATIONAL SCHOOL of Saraikela kharsawan District w.e.f 18/09/2026

Sig.

District Superintendent of Education
Saraikela kharsawan

Sig.

District Committee
Saraikela kharsawan

This certificate is online generated from <https://rte.jharkhand.gov.in> and does not require signature.

प्रमाण पत्र संख्या - 2026/2020/0003

प्रमाणित दिनांक - 18/09/2026

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

झारखण्ड सरकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के अनुच्छेद १८ के तहत
मान्यता का प्रमाण पत्र

से सम्मानित किया जा रहा है

AHSIEN INTERNATIONAL SCHOOL of Saraikela kharsawan जिला प्रभावी तिथि 18/09/2026

ह./-

जिला शिक्षा अधीक्षक

Saraikela kharsawan

ह./-

उपायुक्त

Saraikela kharsawan

यह कंप्यूटर जनित प्रमाण पत्र <https://rte.jharkhand.gov.in> से निकाला गया है एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

Condition of Recognition

Recognition of this School is granted under provision specified in section 18 of The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009 & Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011 , provided that the school will ensure that the provisions given in The Right of Children to Free and compulsory Education Act, 2009, Jharkhand Right of Children to Free and compulsory Education Rules 2011, Department notification no. 629 dated 25.04.2019 and other directions issued from time to time by the department are strictly adhered to.

मान्यता की शर्त

इस स्कूल की मान्यता निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 में निर्दिष्ट प्रावधान के तहत दी गई है और झारखंड निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के लिए बच्चों का अधिकार है, बशर्ते कि स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रावधानों में दिए गए प्रावधान निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, झारखंड बच्चों का निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011, विभाग की अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 और विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

PRINCIPAL
AHSIEN INTERNATIONAL SCHOOL

For AHSIEN INTERNATIONAL SCHOOL

MANAGER